भारतीय पैनोरमा 2014
विनियम

1. लघु शीर्षक :

इन विनियमों को भारतीय पैनोरमा–2014 विनियम कहा जाएगा और ये तत्काल प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "बोर्ड" से केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "निदेशालय" से सूचना और प्रसारण के अधीन फ़िल्म समारोह निदेशालय अभिप्रेत है;

(ग) "भारतीय पैनोरमा" भारत के अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों का एक वर्ग है । 'भारतीय पैनोरमा' का अर्थ है फ़िल्मों का वह समूह जिसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में शामिल करने हेतु इन विनियमों में उपबंधों के अनुरूप चुना गया हो ।

(घ) "निर्माता" से वैयक्तिक निर्माता, निर्माण कम्पनी, सरकारी विभाग या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान शामिल हैं जो फ़िल्म का निर्माण करें ।

(ङ) "अधिकार धारक" से निगेटिव का स्वामी अभिप्रेत है जो फ़िल्म विशेष तथा फ़िल्म के कॉपीराइट धारक (डिजीटल फ़िल्मों के मामले में) के लिए प्रयोगशाला को चलचित्रित फ़िल्मों के प्रिन्टों के लिए आर्डर देने के लिए अधिकृत हो एवं डिजीटल फिल्म की स्थिति में फिल्म का कॉपी अधिकारधारक।

3. उद्देश्य और लक्ष्य :

भारतीय पैनोरमा विनियमों का उद्देश्य सिनेमैटिक, विषयात्मक और सौन्दर्यात्मक उत्कृष्टता की फीचर और गैर–फीचर फ़िल्मों का निम्नलिखित गैर–लाभकारी प्रदर्शन के माध्यम से फ़िल्म कला को बढ़ावा देने के लिए चयन करना है :–

(1) भारत और विदेश में आयोजित अंतराष्ट्रीय फ़िल्म समारोह

(2) द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत आयोजित भारतीय फ़िल्म सप्ताह और सांस्कृतिक आदान–प्रदान प्रोटोकॉल से बाहर के विभिन्न भारतीय फ़िल्म समारोह ।

(3) भारत में विशेष भारतीय पैनोरमा समारोह ।

4. वर्ग

भारतीय पैनोरमा में निम्नलिखित वर्ग होंगे :–

(1) फ़ीचर फ़िल्में, और

(2) गैर–फ़ीचर फ़िल्में

5. भारतीय पैनोरमा

निम्नांकित शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार चयनित चलचित्रगत, विषयक तथा सौन्दर्यगत श्रेष्ठता वाली अधिकतम 26 फ़ीचर फ़िल्मों तथा 21 गैर–फ़ीचर फ़िल्मों (61वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, 2013 की सर्वोत्तम फ़ीचर और सर्वोत्तम गैर–फ़ीचर फ़िल्मों सहित) को भारतीय पैनोरमा के अंतर्गत दिखाया जाएगा ।

6. पात्रता शर्तें

प्रत्येक प्रविष्टि निम्नांकित शर्तों पर खरी उतरनी चाहिए :

6.1 फ़िल्म किसी भारतीय भाषा में हो । 'किसी भी भारतीय भाषा' से भारतीय संघ के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी अधिकारिक भाषाएं, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी भारतीय भाषाएं तथा समय–समय पर भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य भाषाएं एवं बोलियां अभिप्रेत हैं ।

6.1.1 मूक फ़िल्में भी पात्र होंगी ।

6.2 फ़िल्म भारत में निर्मित हो । यदि किसी विदेशी निर्माता के साथ मिलकर निर्माण किया गया हो, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी चाहिए :–

6.2.1 सह–निर्माताओं में से कम से कम एक भारतीय हो ।

6.2.2 भारतीय निर्माता भारत में पंजीकृत हो या भारत का नागरिक हो ।

6.2.3 फ़िल्म का शीर्षक भारतीय फ़िल्म शीर्षक के रूप में पंजीकृत हो ।

6.2.4 निर्देशक एक भारतीय नागरिक हो और उससे जुड़े कलाकार तथा तकनीशियन मूलतः भारतीय हों । किन्तु, भारत में स्थित फ़िल्म संस्थानों के ऐसे विदेशी छात्रों द्वारा निर्देशित गैर–फ़ीचर फ़िल्में भी पात्र होंगी, यदि उनकी प्रविष्टियां संबंधित संस्थानों द्वारा भेजी जाएं ।

6.2.5 प्रिन्ट बनाने हेतु उसके निगेटिव भारत में अधिकार प्राप्तकर्ता (राइट होल्डर) के पास उपलब्ध हों ।

6.2.6 भारत और विदेश में होने वाले फ़िल्म महोत्सवों में भारतीय प्रविष्टि के रूप में तथा फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित भारतीय सिनेमा की विशिष्ट प्रदर्शनी में फ़िल्म को शामिल करने हेतु संस्वीकृत करने का अधिकार आवेदक के पास हो ।

6.3 फ़िल्में केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा **01 सितम्बर, 2013 तथा 31 अगस्त, 2014** के बीच प्रमाण पत्रित हों ।

6.4 किसी भी भारतीय भाषा में बनी फ़िल्में जो कि 35 मि.मी. या बड़े गेज या डिजीटल प्रारूप में हों तथा फ़िल्म प्रारूप या डिजीटल/वीडियो प्रारूप में जारी करने हेतु केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फ़ीचर फ़िल्म या फीचरेट के रूप में प्रमाणित फ़िल्में **फीचर फ़िल्म वर्ग** के लिए पात्र हैं ।

6.5 किसी भी भारतीय भाषा में बनी फ़िल्में जो कि 35 मि.मी. या बड़े गेज या डिजीटल प्रारूप में हों तथा फ़िल्म प्रारूप या डिजीटल/वीडियो प्रारूप में जारी करने हेतु केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वृत्तचित्र/न्यूज़रील/नॉन–फिक्शन/शार्ट फिक्शन के रूप में प्रमाणित फ़िल्में **गैर–फीचर फ़िल्म वर्ग** के लिए पात्र हैं ।

6.6 कोई फ़िल्म फीचर है अथवा गैर–फीचर, इसका निर्णय प्रविष्टिकर्ता द्वारा जमा किए गए सेंसर प्रमाणपत्र में अंकित श्रेणी के आधार पर किया जाएगा ।

6.7 सभी फिल्मों में अंग्रेजी उप–शीर्षक अनिवार्य है ।

6.8 फ़िल्म फेड़रेशन ऑफ इंडिया एवं फिल्म एवं टेलीविजन प्रोड्यूर्स गिल्ड ऑफ इंडिया लि., भारतीय पैनोरमा 2014 में चयन हेतु लोकप्रियता एवं बॉक्स ऑफिस सफलता के आधार पर दस फ़िल्मों की सूची देंगे । निर्णायक मंडल, इस सूची में से भारतीय पैनोरमा में शामिल करने हेतु पांच फ़िल्मों का चयन करेगा ।

6.9 अ. वैयक्तियों/निर्माताओं/निर्माता इकाइयों/सरकारी संस्थानों/कम्पनियों को अधिकतम **पांच** प्रविष्टियां भेजने की अनुमति है ।

ब. फ़िल्म एवं मीडिया संस्थानों को छात्रों की अधिकतम **दस** प्रविष्टियां भेजने की अनुमति है ।

6.9 **अपात्रता**

प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित पात्र नहीं होंगे –

क. मूल रूप से टेलिविजन के लिए निर्मित कार्यक्रम एवं टेलिकास्ट प्रारूप में वाणिज्यिक ब्रेक्स, विज्ञापनों, चैनल लोगो/आई डी इत्यादि से युक्त भेजी गई प्रविष्टियां ।

ख. प्रविष्टियों पर प्रिव्यू कॉपी, विभागीय लोगो इत्यादि शीर्षक अंकित होना । यद्यपि, यदि स्क्रीनिंग कॉपी पर शीर्षक अंकित है तो वह बहुत धुंधला या अस्पष्ट न हो जिससे कि उन्हें देखने में परेशानी पैदा हो ।

ग. डब की गई फ़िल्में या उनका संशोधित रूपान्तर ।

घ. फिल्म अंग्रेजी उपशीर्षक न होने पर (फ़िल्म निर्माता कृपया सुनिश्चित कर लें कि फ़िल्मों के उपशीर्षक स्पष्ट एवं सुपाठ्य हों । उपशीर्षकों को विजुअल/बैकग्राउन्ड के साथ नहीं जोड़ा जाए । इससे ज्यूरी सदस्यों को फ़िल्म मूल्यांकन अच्छी प्रकार से कर पाने में सुविधा होगी) ।

ड़ प्रविष्टियों को 35 एम एम प्रिन्ट, डी.सी.पी.(अनक्रिपटिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट –जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोटः जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) अथवा डी वी कैम की निम्नस्तरीय क्वालिटी में उपलब्ध कराना ।

च. आवेदक की प्रविष्टि स्वतः की अयोग्य मानी जाएगी यदि आवेदक ज्यूरी सदस्यों पर किसी प्रकार का प्रभाव/सिफारिश करता है, और इस संबंध में सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

7. फ़िल्म भेजने की प्रक्रिया

7.1 निर्माता और/या अधिकारधारक निर्धारित प्रविष्टि प्रपत्र(आईपी–I) में (प्रपत्र आईपी–II तथा आईपी–III) केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र सहित आवेदन करें । भारतीय पैनोरमा 2014 के प्रविष्टि प्रपत्र एवं विनियम निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

wwww.dff.nic.in, www.iffi.nic.in

7.2 प्रत्येक प्रविष्टि प्रपत्र के साथ निम्नलिखित सामग्री भेजी जाए और इसे **indianpanorama2014@gmail.com** पर भी ई–मेल करें :

(क) 35 एम एम प्रिन्ट/ डी.सी.पी.(अनक्रिपटिड, डी.सी.आई.कम्पलाइन्ट –जे2के, इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोटः जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) अथवा डी वी कैम की निम्नस्तरीय क्वालिटी में उपलब्ध कराना ।

(ख) फ़िल्म का कथासार (संक्षिप्त व अधिकतम 500 शब्द में), निर्देशक का जीवन–वृत्त तथा निर्देशक का अंग्रेजी में नोट एवं कलाकारों में सेंसर प्रमाण पत्र दिखाई देना चाहिए ।

निम्नलिखित को **indianpanorama2014@gmail.com** पर भी ई–मेल करें :

1.फिल्म की : 5–10 तस्वीरें(200– 300–डीपीआई)
2.निर्देशक की 2–4 तस्वीरें(200–300–डीपीआई)
3.निर्माता की तस्वीरें और लोगो(200– 300–डीपीआई)
4.पोस्टर

(ग) विधिवत सत्यापित, 20/– रुपये के स्टाम्प पेपर पर आवेदक का शपथपत्र जिसमें घोषणा की गई हो कि प्रस्तुत प्रविष्टि प्रपत्रों और अन्य प्रपत्रों में दिए गए विवरण उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य हैं, खंड 7.2 के तहत यथापेक्षानुसार प्रस्तुत की जा रही फ़िल्म का 35 एम.एम. प्रिन्ट/ डी.सी.पी. (अनक्रिपटिड, डी.सी.आई.कम्पलाइन्ट –जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोटः जे2के इनटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) अथवा डी वी कैम प्रमाणित है और केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाणन के उपरान्त आवेदक ने इसमें किसी भी प्रकार की कोई फेरबदल नहीं की है ।

(ड़) फ़िल्म के चयनित हो जाने पर निम्नलिखित सामग्री तुरन्त भेजी जाए :–

1. फीचर फिल्म के लिए डी.सी.पी.(अनक्रिपटिड, डी.सी.आई.कम्पलाइन्ट –जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोटः जे2के इनटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) और दो डीवी कापी ।
2. गैर–फीचर फिल्म के लिए डी.सी.पी.(अनक्रिपटिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट –जे2के, इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोटः जे2के इनटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) अथवा डी वी कैम और दो डीवी कापी ।
3. 3X2 फीट के थिएटर साइज के तीन पोस्टर ।
4- एक 3 मिनट का प्रोमो/ट्रेलर (ब्लूरे एवं दो डीवीडी)

7.3 प्रविष्टियों के साथ, फ़ीचर फ़िल्मों के लिए 5,000/– रु. तथा गैर–फ़ीचर फ़िल्मों के लिए 2000/–रु. अप्रतिदेय शुल्क भेजा जाना चाहिए । शुल्क आरेखित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो जो **"वेतन और लेखा अधिकारी (मुख्य सचिवालय), सूचना और प्रसारण मंत्रालय" के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली को देय हो ।**

7.4 सहायक सामग्री के साथ प्रविष्टियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि **10 सितम्बर 2014** है । यदि 10 सितम्बर 2014 छुट्टी का दिन हो तो अगला कार्यदिवस डी.वी.डी./प्रविष्टियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि माना जाएगा । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त प्रविष्टियों को आवेदक को बिना सूचित किए निरस्त किया जा सकता है ।

7.5 सभी प्रविष्टियां निम्नलिखित पते पर भेजी जाएं :–

भारतीय पैनोरमा–2014
फ़िल्म समारोह निदेशालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
सिरीफोर्ट सभागार परिसर,
अगस्त क्रांति मार्ग,
खेल गांव, नई दिल्ली – 110049
दूरभाष : 011–26499386/26497214 (फैक्स)

ई–मेल : **indianpanorama2014@gmail.com**

(सभी प्रिन्टों एवं सामग्री के सभी पैकेटों पर भारतीय पैनोरमा 2014 अंकित होना चाहिए)

7.6 फ़िल्म की प्रविष्टि तीन प्रारूपों, 35 एम एम प्रिन्ट / डी.सी.पी.(अनक्रिपटिड, डी.सी. आई.कम्पलाइन्ट –जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोटः जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) अथवा डी वी कैम में से किसी एक में भेजी जा सकती है । फ़िल्मों में अंग्रेजी उपशीर्षक होना आवश्यक है । 35 एम.एम. प्रिन्ट / डीसीपी / ब्लूरे / डी वी कैम के कवर पर निम्नलिखित अवश्य अंकित करें :–

1. फ़िल्म का शीर्षक
2. निर्देशक का पूरा नाम
3. निर्माता का पूरा नाम
4. फ़िल्म की अवधि
5. फ़िल्म की मूल भाषा
6. सेंसर प्रमाणन की तिथि

7.7 निदेशालय को 35 एम.एम. प्रिन्ट / डी.सी.पी.(अनक्रिपटिड, डी.सी.आई.कम्पलाइन्ट –जे2के, इनटरोप या एसएमपीटीई डीसीपी– नोटः जे2के इनटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) अथवा डी वी कैम की निम्नस्तरीय क्वालिटी में उपलब्ध कराना और संबद्ध सामग्री भेजे जाने पर आई लागत उस व्यक्ति द्वारा वहन की जाएगी जो फ़िल्म / फ़िल्मों को प्रविष्टि के रूप में भेज रहा है ।

7.8 यदि आवेदक विनियमों के इस में उल्लिखित किन्हीं अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है, तो उसकी प्रविष्टि को निरस्त कर दिया जाएगा ।

8. भारतीय पैनोरमा फ़िल्मों का चयन

8.1 भारतीय पैनोरमा का चयन विधिवत गठित दो निर्णायक मंडलों (एक फ़ीचर फ़िल्मों के लिए और दूसरा गैर–फ़ीचर फ़िल्मों के लिए) द्वारा किया जाएगा । निर्णायक मंडल में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय निर्माण केन्द्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा । फ़ीचर फ़िल्म निर्णायक मंडल में अध्यक्ष सहित 13 एवं गैर–फीचर फ़िल्म निर्णायक मंडल में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे ।

8.2 फ़ीचर फ़िल्म निर्णायक मंडल के अध्यक्ष जूरी सदस्यों में से चार पैनल बना सकते हैं । गैर–फीचर फ़िल्म निर्णायक मंडल के अध्यक्ष जूरी सदस्यों में से दो पैनल बना सकते हैं। प्रत्येक पैनल अपनी देखी गई फ़िल्मों में से अधिक से अधिक 33% फ़िल्मों को पूर्ण निर्णायक मंडल के संयुक्त अवलोकन हेतु रखने की सिफारिश करेगा ।

8.3 किसी व्यक्ति को निर्णायक मंडल की सदस्यता से तभी अयोग्य माना जाएगा जब कि स्वयं उसकी फ़िल्म की प्रविष्टि हुई है । उसके निकट संबंधी की फ़िल्म प्रविष्ट होने के मामले में निर्णायक मंडल के सदस्य को उस फ़िल्म के पुर्वावलोकन में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा।

8.3.1 निर्णायक मंडल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को विनियमों के अनुलग्नक आई पी III में लिखित में इस आशय की घोषणा करनी होगी ।

8.4 समारोह निदेशक और/या उसका मनोनीत व्यक्ति निर्णायक मंडलों की बैठकों में उपस्थित रहेंगे ताकि वह प्रविष्टियों के संबंध में जानकारी/ स्पष्टीकरण दे सके जो निर्णायक मंडल मांगे । यद्यपि वह न तो बैठकों में हिस्सा लेंगे और न ही वोट करेंगे ।

8.5 निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा और उनके निर्णय के संबंध में किसी प्रकार की अपील या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

8.6 इन विनियमों के अनुच्छेद 6.3 के प्रावधानों के होते हुए भी 61वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, 2013 के लिए चयनित सर्वोत्तम फ़ीचर फ़िल्म और सर्वोत्तम गैर–फ़ीचर फ़िल्म भी भारतीय पैनोरमा में शामिल की जाएंगी यदि वह फ़िल्म गतवर्ष भारतीय पैनोरमा में चयनित न हुई हो।

9. भारतीय पैनोरमा के लिए चुनी गई फ़िल्मों की प्रिंट प्राप्त करना

9.1 भारतीय पैनोरमा के लिए फ़िल्म का चयन हो जाने पर निदेशालय को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से उसकी एक या अधिक प्रिंटें, उस कीमत पर खरीदने का अधिकार होगा जो विधायन प्रभारों तथा कच्ची सामग्री के वास्तविक मूल्य से अधिक न हों ।

9.2 निदेशालय को प्रिंट को अंग्रेजी में या/और अन्य भाषाओं में उप–शीर्षक दिलवाने का अधिकार होगा ।

9.3 निदेशालय को यह अधिकार होगा कि वह गैर–वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रति प्रोग्रामिंग आवश्यकतानुसार विदेशी भाषा में उप–शीर्षक युक्त प्रिंट की मांग करे । भारतीय पैनोरमा 2014 के अनुच्छेद 11.2 के अनुसार निदेशालय को भारतीय पैनोरमा 2014 में चयनित फ़िल्मों के गैर–वाणिज्यिक उपयोग हेतु फ़िल्मों की एक 35एमएम प्रिन्ट/डीसीपी/डीवी कैम और डीवीडी कापी/35एमएम प्रिन्ट से ब्लूरे/डीसीपी और डीवी कैम की प्रति एवं प्रविष्टि हेतु भेजी गई डिजीबीटा से डी.वी.डी. प्रतियां बनाने का अधिकार होगा ।

9.4 निदेशालय को यह अधिकार होगा कि वह मौजूदा प्रिंट को बदल दे, चाहे सब–टाइटल है या नहीं, यदि वह प्रिंट खराब प्रमाणित हो चुका है ।

9.5 भारतीय पैनोरमा के लिए फ़िल्म का चयन हो जाने की दशा में, विनियम 7.2 में उल्लिखित सभी सामग्री आवश्यकतानुसार उपयोग के लिए निदेशालय द्वारा रख ली जाएगी । निदेशालय के आग्रह पर निर्माता विनियम में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न समारोहों में फ़िल्म के भाग लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए अतिरिक्त प्रचार सामग्री की भी आपूर्ति करेगा ।

9.6 राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम को भी भारतीय पैनोरमा के लिए चुनी गई प्रत्येक फ़िल्म का एक प्रिंट उस कीमत पर खरीदने का अधिकार होगा जो विधायन प्रभारों तथा कच्ची सामग्री के वास्तविक मूल्य से अधिक न हो ।

9.7 प्रपत्र आई.पी.–II में प्राधिकार प्रत्र का उपयोग परिरक्षण और संग्रहालय उपयोग के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय, पुणे द्वारा किया जाएगा तथा प्रपत्र आई.पी.–III में प्राधिकार पत्रों का उपयोग भारतीय पैनोरमा के लिए फ़िल्म का चयन हो जाने पर ही निदेशालय द्वारा विनियम 11 के अनुसार उपयोग के लिए किया जाएगा ।

10. 35 एम.एम. प्रिन्ट/डी.सी.पी./ब्लूरे/डी वी कैम की वापसी

फ़िल्म का चयन न होने की दशा में निर्णायक मंडल की अंतिम बैठक के बाद जल्द ही फ़िल्म की 35 एम.एम. प्रिन्ट/डी.सी.पी/ब्लूरे/डी वी कैम की प्रतियां निर्माता को वापस भेज दी जाएगी । 35 एम.एम. प्रिन्ट, डी.सी.पी./ब्लूरे अथवा डी वी कैम वापस भेजने का खर्च निदेशालय द्वारा वहन किया जाएगा ।

11. भारतीय पैनोरमा फ़िल्मों का उपयोग

11.1 भारतीय पैनोरमा की फ़िल्मों का शुरू में उपयोग भारत के अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के भारतीय पैनोरमा वर्ग में दिखाने के लिए किया जाएगा बशर्ते कि तकनीकी या किन्हीं अन्य कारणों से फ़िल्म को न दिखा पाने के लिए निदेशालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जाएगा ।

11.2 भारतीय पैनोरमा के लिए चयनित फ़िल्मों में से तीन फिल्में भारत के 45वें अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह के प्रतियोगिता वर्ग हेतु नामित की जाएंगी । भारतीय पैनोरमा की फ़िल्मों का उपयोग फ़िल्म समारोह निदेशालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विवेकानुसार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों, फ़िल्म सप्ताहों, भारतीय पैनोरमा समारोहों तथा देश के अन्दर तथा बाहर अन्य गैर–वाणिज्यिक प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए भी किया जाएगा । इस प्रकार के सभी प्रदर्शनों के लिए निर्माता को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा तथापि उसे इस प्रकार के प्रदर्शनों के बारे में सूचित किया जाएगा ।

11.3 भारत के 45वे अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में दिए जाने वाले प्रस्तावित शताब्दी पुरस्कार हेतु भारतीय पैनोरमा फ़िल्मों पर भी विचार किया जाएगा । इस पुरस्कार में 10,00,000/– रुपये नकद एवं एक सिल्वर पीकॉक शामिल है ।

11.4 राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत खरीदे गए प्रिंटों का उपयोग भारतीय पैनोरमा समारोहों को आयोजित करने के लिए किया जाएगा और इनका उपयोग किसी व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा । फ़िल्म समारोह निदेशालय तथा राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम भारतीय पैनोरमा समारोहों का आयोजन भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार करेगा ।

12. मध्यस्थता

निर्माता तथा निदेशालय के बीच किसी भी मामले पर उत्पन्न विवाद, जो इन विनियमों के अंतर्गत न आता हो, को सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा और दोनों पक्षों को मान्य होगा । यह विवाचन उपनियम निर्णायक मंडलों के निर्णयों पर लागू नहीं होगा । निर्णायक मंडल का निर्णय फ़िल्म समारोह निदेशालय तथा भारतीय पैनोरमा के आवेदक दोनों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।